न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 05/2024

अनवान : –

1. दिनेश कुमार पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

– अपीलांट

बनाम्

1. सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली तहसील नोहर।
2. विधादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
3. धर्मादेवी पत्नी सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
4. सुमित्रा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
5. रामादेवी पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
6. सुनिता पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
7. सुखमा पुत्री सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
8. नितेश पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।
10. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

– रेस्पोडेंटस

अपील विरूद्ध आदेश रोही मौजा 7 बारानी नामान्तरण संख्या 1528दिनांक 20.01.2016 सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अपीलांट
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः -03/12/2024

संक्षेप में अपील अपीपान्ट के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम की सदामत से कब्जा काश्त की भूमि थी अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वेच्छा से उक्त वाद भूमि की वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 8 के पक्ष में बहिब करवाई गई थी।

अपीलान्ट के पिता का देहान्त दिनांक 16.10.2013 को हो चुका है तथा अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद मुताबिक वसीयत अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टस संख्या 8 वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार हो चुके थी वाद भूमि की वसीयत का रेस्पोडेन्टस को ज्ञान होने के उपरान्त भी वाद भूमि का विरास्तन से नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जिसको अपीलान्ट एव रेस्पोडेन्टस संख्या 8 निरस्त करवाकर अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:15:52 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट के पिता के देहान्त होने के बाद रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 8 ने सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली व राजस्व कर्मचारियों से मिलकर [illegible] भूमि का विरास्तन नामान्करण दर्ज करवा लिया जो कतई गलत है रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 8 को वसीयत के [illegible] अच्छी तरह से ज्ञान था जानबूझ कर तथ्यों को छुपाकर सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली से नामान्तकरण संख्या 1528 दिनांक 20.01.2016 दर्ज करवा लिया जो निरस्त योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अपीलान्ट को इन्तकाल संख्या 1528 दिनांक 20.01.2016 का ज्ञान कभी भी ज्ञान नही रहा न ही इन्तकाल से पूर्व अपीलान्ट को सुना गया ना ही इन्तकाल की अपीलान्ट को कोई सुचना दी गई उक्त नामान्तकरण का ज्ञान पटवारी हल्का से रिकार्ड देखने पर ज्ञान हुआ है अपीलान्ट को विरास्तन नामान्तकरण का ज्ञान हुआ है इसलिये अपीलान्ट को उक्त नामान्तकरण संख्या 1528 का ज्ञान होने पर नकल प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई जो ज्ञान से अन्दर मियाद है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा चक 7 बारानी का नामान्तकरण संख्या 1528 दिनांक 20.01.2016 स्वीकृत ग्राम पंचायत बरवाली को निरस्त फरमाया जावे।

अपील अपीलान्ट प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन /नोटिस तलब किया गया रेस्पोडेन्टस संख्या 1 ता 8 को रजिस्ट्रर्ड सम्मन से तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई तथा पेरोकार राज ने निवेदन किया की राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए अपील का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780हैक में से 1/2 हिस्सा भूमि अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम की खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि थी अपीलान्ट के पिता सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में दिनांक 15.02.2013 को अपनी स्वेच्छो से वाद भूमि की वसीयत अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 8 के पक्ष में करवाई गई थी अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम का देहान्त हो चुका है सुरजाराम के देहान्त होने पर सुरजाराम की वसीयत के अनुसार अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 8 वाद भूमि के खातेदार काश्तकार हो गये थे जो सुरजाराम की वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 8 ने सुरजाराम की वसीयत को छुपाकर कर रेस्पोडेन्टस संख्या 1 से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करवा लिया उक्त नामान्तकरण संख्या 1528 दर्ज करते समय अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया गया एक पक्षिय तौर से नामान्तकरण संख्या 1528 विरास्तन से दर्ज किया गया है जो विधि विरूद्ध है अपीलान्ट उक्त नामान्तकरण को निरस्त करवाकर वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करवाने के अधिकारी है अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर रोही मौजा चक 7 बारानी का नामान्तकरण संख्या 1528 दिनांक 20.01.2016 निरस्त किया जाकर वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने के आदेश फरमावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:15:52 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की अ[illegible] के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए अपील का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780हैक में से 1/2

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

हिस्सा भूमि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ता 8 के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज था।

अपीलान्ट के पिता सुरजाराम पुत्र आदराम ने अपनी जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 15.02.2013 को अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 8 के पक्ष में करवाई जाकर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक करवाई गई थी सुरजाराम पुत्र आदराम का देहान्त दिनांक 16.10.2013 को हो चुका है

सुरजाराम पुत्र आदराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन से नामान्तकरण संख्या 1528 दिनांक 20.01.2016 को तस्दीक किया गया था विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करते समय सुरजाराम की वसीयत का ध्यान नही रखा गया ना ही अपीलान्ट को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया ना ही पत्रावली में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नही है जिससे यह साबित हो सके की विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने के समय सुनवाई का अवसर दिया गया हो।

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का दायित्व था की सुरजाराम पुत्र आदराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन नामान्तकरण दर्ज करने से पूर्व सुरजाराम के सभी वारिसान को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर दिया जाना चाहिये था यदि सनुवाई का अवसर दिया जाता तो सुरजाराम की वसीयत के सम्बध में भी सुनवाई की जा सकती थी।

उपरोक्त विवेचन अनुसार रोही मौजा चक 7 बारानी के खाता संख्या 411/413 की कुल 6.5780हैक मे से 1/2 हिस्सा भूमि जो सुरजाराम के नाम से दर्ज थी सुरजाराम ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत करवाई गई थी सुरजाराम के देहान्त होने के बाद विरास्तन नामान्तकरण संख्या 1528 दर्ज करते समय अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया ना ही सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा गया एकपक्षिय तौर से विरास्तन नामान्तकरण दर्ज किया गया है जबकि अपीलन्ट को सुनवाई एवं सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा जाकर सभी पक्षकारन को सुना जाने के उपरान्त आगामी कार्यवाही करनी चाहिये थी अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिया जाना एवं सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा जाकर सभी पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर पुनः नामान्तकरण दर्ज करवाया जाना उचित है

अतः अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार योग्य होने के कारण आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 1528 रोही मौजा चक 7 बारानी स्वीकृत दिनांक 20.01.2016 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बरवाली को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार राजस्व नोहर को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टस को सुनवाई का अवसर दिया जाकर एव सुरजाराम की वसीयत को ध्यान में रखा जाकर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जावे निर्णय की प्रति तहसीलदार नोहर को पालनार्थ भिजवाई जावे। व्यय अपील उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 03/12/2024 द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.12.10 16:15:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)